झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

आपराधिक पुनरीक्षण सं0–11 वर्ष 2020

लड्डू अंसारी .... याचिकाकर्त्ता

बनाम

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री बी0बी0 मंगलमूर्ति

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री अनुराग कश्यप, अधिवक्ता।

राज्य के लिए:– श्रीमती प्रिया श्रेष्ठ, ए0पी0पी0।

04 / 24.04.2020 याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता के साथ–साथ राज्य के विद्वान ए0पी0पी0 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना।

वर्तमान आवेदन, आपराधिक अपील सं0 58 / 2019 में श्री शत्रुन्जय कुमार सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश–IV, पलामू, डाल्टेनगंज द्वारा पारित किये गये दिनांक 27 नवम्बर, 2019 के आदेश के विरूद्ध दायर की गई है, जिसके द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत अपराध के लिए पंजीकृत छत्तरपुर थाना काण्ड संख्या 60 / 2018, जी0आर0 सं0 981 / 2018 के अनुरूप, के संबंध में याचिकाकर्त्ता की जमानत के लिए किये गये प्रार्थना को खारिज कर दिया गया है और वही वर्तमान में प्रधान दण्डाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड, डाल्टेनगंज, पलामू की अदालत में लंबित है।

याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी और सह–अभियुक्त के बयान के आधार पर इस मामले में इस याचिकाकर्त्ता का नाम आया था। आगे यह निवेदन किया गया है कि इस याचिकाकर्त्ता ने 15 जुलाई, 2019 को निचली अदालत के समक्ष स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया है और उसे सम्प्रेक्षण गृह में रखा गया है क्योंकि वह इस मामले में किशोर पाया गया था। यह भी निवेदन किया गया था कि सामाजिक जांच रिपोर्ट इस याचिकाकर्त्ता के पक्ष में है और उसके पिता ने यह जिम्मा लिया है कि भविष्य में यह याचिकाकर्त्ता अपराध में लिप्त नहीं होगा और किसी भी अपराधी के सम्पर्क में नहीं आएगा। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि वर्तमान महामारी की स्थिति के कारण उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है और उसके पिता उसकी देखभाल करेंगे।

विद्वान ए0पी0पी0 ने निवेदन किया कि निचली अदालत ने इस आधार पर जमानत के लिए किए गए उसके प्रार्थना को खारिज कर दिया है कि रिहाई के बाद वह ज्ञात अपराधियों के सम्पर्क में आ सकता है। उसने आगे कहा कि यह याचिकाकर्त्ता, जैसे कि सह–अभियुक्तों द्वारा बताया गया है, इस आपराधिक कृत्य का मास्टरमाइंड था।

पार्टियों के उपरोक्त निवेदनों के साथ–साथ यह भी ध्यान में रखते हुए कि इस याचिकाकर्त्ता ने 15 जुलाई, 2019 को निचली अदालत के समक्ष स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया है और उसके पिता द्वारा दिए गए वचन को भी ध्यान में रखते हुए, आरोपी–लड्डू अंसारी को छत्तरपुर थाना काण्ड संख्या 60/2018, जी0आर0 सं0–981/2018 के अनुरूप, के संबंध में प्रधान दण्डाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड,

डाल्टेनगंज, पलामू के अदालत की संतुष्टि के प्रति समान राशि की दो प्रतिभूतियों के साथ 10,000/– (दस हजार रूपया) के जमानत बंधपत्र को प्रस्तुत करने पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, इस शर्त के अधीन कि जमानतदारों में से एक इस याचिकाकर्त्ता का पिता होना चाहिए।

तद्नुसार, वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण को अनुज्ञात किया जाता है और आपराधिक अपील सं0–58/2019 में दिनांक 27 नवम्बर, 2019 को पारित हुए आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है।

(बी0बी0 मंगलमूर्ति न्याया0)